न्यायालय अति0जिला कलेक्टर, टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 11/2015
प्रविष्टि दिनांकः— 04.09.2015

बजरंगलाल पुत्र कालूराम जाति जांगिड़,खाती निवासी भावलपुर तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0

..... प्रार्थी

बनाम

1—बालू पुत्र जुवारा जाति जाट निवासी भावलपुर,तिलाजू तहसील मालपुरा जिला टोंक
2—रामधन पुत्र लादू जाति जाट निवासी भावलपुर,तिलाजू तहसील मालपुरा जिला टोंक
3—ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा जरिये सरपंच

...... प्रतिपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज0 पंचायत अधि0 विरूद्व निर्णय प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा दिनांक 19.12.2014

उपस्थितः (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक अपीलांट
(3) श्री श्याम सुन्दर विजय, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2

निर्णय

दिनांक 25.03.2021

संक्षेप में निगरानी का सार इस प्रकार है कि प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2014 से ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा द्वारा निगरानीकर्ता के पक्ष में दिनांक 06.03.1991 को जारी आबादी भूमि के पट्टे को निरस्त किये जाने पर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस तलबी की गई एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई । प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि0 एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को विधिवत रूप से नोटिस नही दिया गया है और ना ही साक्ष्य—सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। प्रशासन एवं स्थापना समिति व पंचायत समिति मालपुरा द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 25.12.2014 एवम् वास[illegible] से चलने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रार्थी के हक में पा[illegible] गया पट्टा दिनांक 06.03.1991 बहाल रखे जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट स[illegible] व बिना किसी कारण के केवल राजनीतिक रंजिश के कारण प्रार्थी के पक्ष में जारी [illegible] गये पट्टे दिनांक 06.03.1991 के विरूद्ध वर्ष 2014 में जाकर पंचायत समिति मालपुरा के समक्ष अपील पेश की है जि[illegible] धारा 5

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लिमिटेशन एक्ट का कोई प्रा. पत्र प्रस्तुत नहीं किया विलम्ब के सम्बन्ध में कोई पर्याप्त, सन्तोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं किये तथा बिना किसी कारण के पंचायत समिति ने 24 वर्षो बाद जाकर मियाद के बिन्दू को नजर अन्दाज करते हुऐ पट्टे को निरस्त कर दिया जिसमें यह आज्ञापक प्रावधान है कि मियाद बाहर किसी भी याचिका/अपील में सर्वप्रथम मियाद का प्रश्न निर्धारित किया जावे परन्तु पंचायत समिति ने इस कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया एवं अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए विलम्ब को माफ किये बिना पट्टा निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जो कानून के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है।

पंचायत समिति की स्थायी समिति ने व सम्पूर्ण कोरम ने मौके की जांच कर कोई रिपोर्ट तलब नहीं की जिससे निर्णय व आदेश गलत साबित हुआ है तथा चलने योग्य नहीं है।प्रार्थी पट्टे के अनुसार विवादित भू–खण्ड पर वर्षो से काबिज चला आ रहा है और उपभोग कर रहा है स्थायी समिति ने यह निर्णय दिया है कि दो वर्ष मे निर्माण करना चाहिए था, इस सम्बन्ध मे निवेदन है कि ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि ऐसा कोई व्यक्ति दो वर्ष मे निर्माण कार्य करे, अपनी परिस्थिति के अनुसार भू–खण्ड पर कच्चा व पक्का व्यवस्था करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकता है तथा उस पर ऐसी कोई पाबन्दी नहीं है कि वह दो वर्ष मे ही निर्माण कार्य पूर्ण कर ले। इस प्रकार पंचायत समिति ने अवैध तरीका अपनाकर निर्णय/आदेश पारित करा दिया। मौके पर गत 25 साल से भी अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा है, भू–खण्ड पर चारो तरफ बाड़ लगा रखा है तथा निर्माण सामग्री रखी हुई है जो मौके पर मौजूद है विवादित भू–खण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में दावा चल रहा है जिसमें टी. आई. जारी है इस कारण भी पंचायत समिति को निर्णय देने का अधिकार नहीं था परन्तु उन्होंने अपनी शक्तियों का सरासर दुरूपयोग करते हुए प्रार्थी का पट्टा निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका निरीक्षण का भी निगरानीकर्ता को नोटिस नही दिया गया है। निर्णय मे रास्ते का अंकन नही है। सिविल कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट मे रास्ता अलग बताया है। पट्टा भूमि अलग है। प्रार्थी ने किसी प्रकार नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा पट्टे शुदा भूमि किसी प्रकार भावलपुर से डूंगरीकला जाने वाली रास्ते की भूमि नहीं है तथा रास्ता किसी प्रकार अवरूध नहीं है बल्कि आबादी में है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने रंजिश के कारण कार्यवाही करवायी है जो चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट द्वारा की गयी अपील अधीनस्थ न्यायालय मे स्पष्ट रूप से मियाद बाहर थी,फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर किये बिना तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना एक तरफा निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय किसी भी सूरत मे स्टैण्ड रखे जाने योग्य नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12.2014 को निर्णय पारित किया गया है,उक्त निर्णय को चैलेंज दिनांक 04.09.2015 को किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के साथ मौका निरीक्षण का नक्शा संलग्न है। जिसमे अंकित है कि पक्षकारान को सूचना दी गई है। उक्त पट्टे संबंधित रिकार्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाकर उक्त पट्टा निरस्त किया है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे मे दो वर्ष मे निर्माण कार्य करने का उल्लेख है। मौके पर निर्माण नहीं है। सिविल कोर्ट की मौका रिपोर्ट मे भी रास्ता का उल्लेख है। पट्टे की भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली का गहन अध्ययन किया। ग्राम पंचायत तिलाजू पंचायत समिति मालपुरा द्वारा दिनांक 06.03.1991 को बजरंग लाल पुत्र कालूराम जाति खाती निवासी मावलपुर का पट्टा नि0शुल्क जारी किया गया है,जिसके विरूद्ध प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2014 को निर्णय पारित कर ग्राम पंचायत तिलाजू के आदेश को निरस्त किया गया है।

अभिभाषक निगरानीकर्ता का कथन है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे गलत तथ्यो को पेशकर एक तरफा निर्णय पारित करवाया है। प्रशासन एंव वित्त स्थायी समिति मालपुरा कार्यालय पंचायत समिति मालपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2014 पारित करने से पूर्व अपीलाट को किसी भी प्रकार का नोटिस जारी नही किया है और न ही सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किया गया है।

अभिभाषक नॉन निगरानीकर्ता संख्या 1 व 2 ने तर्क दिया है कि ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा रास्ते की भूमि पर अपीलांट को पट्टा जारी किया गया है जो गलत है। ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रस्ताव व विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही उक्त पट्टा जारी किया गया है।

पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अपीलाट के हक मे ग्राम मावलपुर मे ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा दिनांक 06.03.1991 को पट्टा जारी किया गया है। अपीलांट के हक मे ग्राम पंचायत तिलाजू द्वारा जारी पट्टा दिनांक 06.03.1991 के विरूद्व रेस्पोडेण्ट द्वारा पंचायत समिति मालपुरा मे अपील प्रस्तुत करने पर पंचायत समिति मालपुरा द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के साथ मौका निरीक्षण का नक्शा संलग्न है जिसमे लिखा है कि दोनो पक्षो को सूचना दी गई है,परन्तु उक्त नक्शे पर अपीलांट के हस्ताक्षर नही है तथा न ही मौका निरीक्षण की सूचना संबंधी नोटिस संलग्न है। इससे यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस नही दिया गया और ना ही समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। न्याय का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उसके विरूद्व कोई आदेश/निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये बिना सिर्फ इसी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.2014 को अपास्त कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रशासन एंव स्थापना समिति पंचायत समिति मालपुरा का निर्णय दिनांक 19.12.2014 निरस्त कर प्रकरण को इस आदेश से रिमाण्ड (Remand) प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई/साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर प्रदान कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-3-21

(मुरारी लाल शर्मा)

अति.जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:33:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner